कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / एफ.46 / मुख्य आवंटन शाखा / 2017 / दिनांक :: , 2017

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 16 जून, 2017 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 4 मई, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 4 मई, 2017 का कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 4 मई, 2017 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 4 मई, 2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत होर्टिकल्चर कार्यों के आईटमों / कार्यों की दरें बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माह जुन 2017 में आयोजित होने वाली कार्यकारी समिति में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हार्टिकल्चर आइटमों / कार्यो जो कि राजस्थान सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग द्वारा स्वीकृत B.S.R के हार्टिकल्चर परिशिष्ठ में वर्णित दरों में सम्मिलित नहीं है को स्वीकृत की गई है जो कि सक्षम अधिकारी वन संरक्षक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा स्वीकृत है। जोधपुर विकास प्राधिकरणों में भी उक्त आइटमों / कार्यो की दरे नहीं होने से H- शेडयूल पर कार्य भिन्न–भिन्न जोनों द्वारा करवायें जाते रहें जिसके अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त दरें विस्तृत एवं व्यापक तौर पर उद्यानिकी कार्यों हेतू लागू होने से उक्त कार्यो को करवाये जाने में पारदर्शिता एवं एकरूपता रहेगी। अतएव अभियांत्रिकी शाखा से बाद परीक्षण अनुमोदन करते हुए उक्त दरों को जोधपुर विकास प्राधिकरण की प्रचलित B.S.R (सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार जोधपुर की वर्ष 2013 की B.S.R के हार्टिकल्चर परिशिष्ठ से है) में सम्मिलित करने हेतू स्वीकृति वास्ते प्रस्तुत है। उक्त जयपुर विकास प्राधिकरण की हार्टिकल्चर B.S.R जोधपुर विकास प्राधिकरण में स्वीकृति एवं अनुमोदन बाबत् निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

19.6.17

निर्णय

बैठक में निदेशक–अभियांत्रिकी एवं सहायक वन संरक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गयी एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संलग्न परिशिष्ट जो इस कार्यवाही विवरण का भाग परिशिष्ट–2 है, में उपलब्ध है, के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा स्वीकृति हार्टिकलचर आईटम जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण में प्रभावी पी.डब्ल्यू.डी. बी.एस.आर. 2013 के हार्टिकल्चर परिशिष्ट में उपलब्ध नहीं है एवं इन कार्यों को समय समय पर करवाये जाने की आवश्यकता पड़ती है। इनकी दरें निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न होती है। चूंकि संलग्न सूची अनुसार प्रकरणों का जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में दर निर्धारित कर उपयोग किया जा रहा है एवं इसे निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण भी उचित बताया गया है। अतः उक्त दरों को जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की प्रचलित बी.एस.आर. का भाग बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 3 :: विद्युत शाखा के रखरखाव से संबंधित वार्षिक दर संविदा के तहत करवाये जाने वाले कार्यों की वर्ष 2017–18 हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक कार्यालय आदेश के संदर्भ में निवेदन है कि कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में विद्युत कार्य के प्रकरणों की एजेन्डा सूचि निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

प्रस्ताव संख्या 1 :– विद्युत शाखा के रख रखाव से संबंधित वार्षिक दर संविदा के तहत करवाये जाने वाले कार्यो की वर्ष 2017–18 हेतु प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति बाबत्।

क्र. सं.	कार्य का नाम	वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तावित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि (लाखो में)
1	प्राधिकरण कार्यालय एवं प्राधिकरण भवन में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार वायरिंग, नये पंखे, लाईट, मोटर, बैटरी एवं जनरेटर, एयर कण्डिशनर का रख रखाव व आवश्यकतानुसार किराये पर कूलर इत्यादि मांग के अनुसार लगाने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	80.00
2	जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानो पर आवश्यकतानुसार अस्थाई लाईट की व्यवस्था एवं आवश्यतानुसार जनरेटर लगाने की व्यवस्था करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	20.00
3	जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार माईक व्यवस्था करने बाबत्। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	10.00
4	प्राधिकरण कार्यालय में लगे लेन कार्य का रख रखाव संबंधित कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	5.00
5	प्राधिकरण कार्यालय में लगे इन्टरकॉम संचालन, एवमं रख रखाव का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	5.00
6	सम्राट अशोक उद्यान एवं बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण की देखरेख एवं आवश्यकतानुसार नये कार्य जैसे कि वायरिंग, नये पंखे, लाईट आदि मांग के अनुसार लगाने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध	25.00

15.6.17

	पर)	
7	जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में विभिन्न स्थानों पर लगे फव्वारे एवं म्युजिकल फव्वारे का रख रखाव एवं सुरक्षा करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध पर)	40.00

प्रस्ताव संख्या 2 :– सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्तावः–

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के क्षेत्र में विभिन्न स्थानो पर आवश्यकतानुसार वार्षिक अनुबन्ध के अन्तर्गत पथ प्रकश व्यवस्था करने हेतु चारो जोन में लाईटे लगाने के कार्य की निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	जोन पूर्व के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00
2	जोन पश्चिम के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00
3	जोन उत्तर के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00
4	जोन दक्षिण के विभिन्न स्थानों पर मांग के अनुसार सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	50.00

प्रस्ताव संख्या 3 :– जोनवार रोड लाईट रख रखाव कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव :–

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के क्षेत्र में लगी लाईटो का रख रखाव कार्य करवाने हेतु राशि रू. 14.25 लाख प्रतिमाह नगर निगम को हस्तान्तरण करने हेतु एम.ओ.यू. हुआं था। लेकिन नगर निगम, जोधपुर द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के क्षेत्र की लाईटो का रख रखाव संबंधि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ही किया जाना है.। इस हेतु जोनवार टेण्डर प्रक्रिया अपना कर कार्य किया जाना उचित रहेगा। उसके अनुसार निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	जोन पूर्व में लगी लाईटो का रख रखाव दो वर्ष तक करने हेतु।	60.00
2	जोन पश्चिम में लगी लाईटो का रख रखाव दो वर्ष तक करने हेतु।	60.00
3	जोन उत्तर में लगी लाईटो का रख रखाव दो वर्ष तक करने हेतु।	60.00
4	जोन दक्षिण में लगी लाईटो का रख रखाव दो वर्ष तक करने हेतु।	70.00

प्रस्ताव संख्या 4 :– प्राधिकरण क्षेत्र में लगी रोड लाईटो हेतु रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव :–

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के अधीन क्षेत्र जहां रोड लाईट रख रखाव का कार्य प्राधिकरण स्तर पर किया जा रहा है इन कोलोनियों में काफी स्थानो पर रोड लाईट वायर एवं टाईमर नहीं होने के कारण लाईटो को समय पर चालू करना व बन्द करना समस्याऐं आरही है। उक्त

19.6.17

समस्याओं को दूर करने हेतु फेस प्रथम में शहर के निकटतम कोलोनियों में वायर एवं टाईमर लगाना उचित रहेगा। उसके अनुसार निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)
1	जोन पूर्व में रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य।	15.00
2	जोन पश्चिम में रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य।	15.00
3	जोन उत्तर में रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य।	10.00
4	जोन दक्षिण में रोड लाईट वायर एवं टाईमर लगाने का कार्य।	15.00

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव 1 लगाये 4 के समस्त कार्यों पर विचार विमर्श कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावानुसार जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: नान्दडी खसरा संख्या 112/3 में ओ.सी.एफ. की 884 वर्ग गज भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नान्दडी को निःशुल्क आवंटन बाबत।

ग्राम नान्दड़ी के खसरा संख्या 112/3 में ओ.सी.एफ. की भूमि कुल क्षेत्रफल 884.08 वर्गगज को प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., नान्दड़ी, पंचायत समिति मण्डोर ने आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके परीक्षण में जाहिर है कि उक्त ओ.सी.एफ. की भूमि आवंटन के लिए विकासकर्ता ने निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं किया है। इसलिए इस भूमि को रा. उ.प्रा.वि., नान्दड़ी को स्कूल के आवंटन के लिए कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय रूप में आरक्षित है एवं आवासीय क्षेत्र में निदेशक आयोजना की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल के लिए भूमि आवंटित किया जाना अनुमत है।

निर्णय

बैठक में अवगत कराया गया कि उक्त विद्यालय क्रमोन्नत होकर माध्यमिक स्तर का हो चुका है। अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 112/3 में ओ. सी.एफ. की रकबा 884 वर्गगज भूमि नवक्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नान्दडी को निःशुल्क आवंटन करने के लिए राज्य सरकार को मय प्राधिकरण की अनुशंषा भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: बालकृष्ण शिक्षण संस्थान को ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 व 1256 में विद्यालय एवं छात्रावास हेतु भूमि आवंटन।

श्री कानाराम फडाक द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है।
1. संस्थान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
2. गत तीन वर्ष की ओडिट रिपोर्ट।
3. संस्थान का विधान।
4. संस्थान विधान नियमावली।

आदि प्रस्तुत कर एवं नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत परिशिष्ट 1 एवं प्रपत्र 'अ' प्रस्तुत किया है। संस्थान **द्वारा खसरा नं0 812 अथवा 1256** ग्राम कैरू में विद्यालय एवं छात्रावास हेतु 5 बीघा भूमि को आवंटन करने का अनुरोध किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार

19.6.17

खसरा नं0 812 व 1256 में विद्यालय एवं छात्रावास हेतु भूमि रिक्त दर्शाई है। नवीन आवंटन नीति अनुसार विद्यालय हेतु माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर विद्यालय संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल– 4000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय छोडकर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल– 6000 वर्गमीटर तक आवंटन करने का प्रावधान है।

विद्यालय हेतु हॉस्टल के लिये नवीन आवंटन नीति 2015 में कोई प्रावधान नहीं है। निदेशक आयोजना की रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2023 में उक्त भूमि 72 गांव से बाहर स्थित है एवं 72 गांव से बाहर कई आवंटन के प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये गये है। प्रकरण कार्याकारी समिति बैठक दिनांक 04.05.2017 के प्रस्ताव संख्या 17 में निर्णय लिया की विद्यालय एवं छात्रावास पूर्व में कोई भूमि आवटित हुई है या नही ? इस संबंध में संस्था को पत्र लिखा गया जिस पर संस्था ने शपत पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संस्थान को विद्यालय एवं छात्रावास हेतु पूर्व में भूमि आवटन नही की गई है। तथा वर्तमान में उपरोक्त विद्यालय किराये के भवन में संचालित हो रहा है। अतः कार्याकारी समिति बैठक दिनांक 04.05.2017 की निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी एवं चर्चा उपरान्त सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1– प्रकरण में आवेदन को ऑन–लाईन दर्शाया जावे,

2– आवेदक संस्था द्वारा निर्माण किस प्रकार से करवाया जावेगा इस बाबत वित्तीय संसाधन बाबत रिपोर्ट प्राप्त की जावे,

3– चूंकि मास्टर प्लान –2023 में प्रश्नगत भूमि 72 राजस्व ग्रामों से बाहर स्थित है, इसलिए प्रश्नगत भूमि के संबंध में भू–उपयोग संबंधी टिप्पणी निदेशक–आयोजना से बैठक के दौरान चाही गयी जिस पर निदेशक--आयोजना द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 11 मई, 2017 एवं पूर्व पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के मास्टर प्लान – 2023 के बाहर ग्रामीण क्षैत्र में स्थित भूमियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्देश है कि यदि प्रस्तावित भू–उपयोग प्रारूप मास्टर प्लान – 2031 में दर्शाये गये भू–उपयोग के अनुरूप है तो उनको तद्नुरूप अनुज्ञेय किया जा सकता है बशर्ते मास्टर प्लान के प्रस्तावित उपयोग के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो। अतः इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रकरण की संबंधित पत्रावली पर निदेशक–आयोजना से टिप्पणी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावे, एवं

4– उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित आवंटन नवीन आवंटन नीति के अनुसार आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर, जो भी अधिक हो, वसूल करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 512 एवं ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 सिद्धू सर्वेयर कम्पनी द्वारा किये गये सर्वेयर का भुगतान बाबत।

तत्कालीन आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा न.512 ग्राम मोकलावास एवं खसरा न. 761/22 ग्राम तिवंरी हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 513–519 दिनांक 17.09.2016 के अनुसार नई आवासीय योजना लांच करने हेतु सर्वे टीम के साथ पटवारी एवं संबंधित अधिशाषी अभियंता को एवं सहायक नगर नियोजक को अलग–अलग टीम बनाकर सर्वे करवाई गई।

15.6.17

तत्कालीन उपायुक्त पश्चिम जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मौका पर यथास्थितिवश दिये गये कार्य को आगे बढाया गया। उपरोक्त प्रकरण में सिद्धु सर्वेयर कम्पनी द्वारा प्रस्तुत बिल 1619284/– का भुगतान करने हेतु प्रस्तुत किया है।

चूंकि उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में जारी A & F प्रस्तुत बिल से 50 प्रतिशत अधिक बढ जाने से सिद्धु सर्वेयर कम्पनी का बिल का भुगतान किया जाना संभव नही था अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ एवं विचारार्थ हेतु रखा गया था जिस पर कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 03.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 39 में प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारीकर्ता में होने से प्रकरण प्राधिकरण बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक 15.05.2017 प्रस्ताव संख्या 11 में अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक वित्त से जानकारी ली गई कि प्राधिकरण की अधिकारिता में आता है, यदि हा तो नियम सहित स्पष्ट करे इस पर निदेशक वित्त कोई नियम नही बता सके। साथ ही निदेशक वित्त ने यह सुझाव दिया कि प्रकरण कार्यकारी समिति को पुनः परीक्षण कर, निस्तारण हेतु भेजना उचित रहेगा अतः बैठक में सर्व समिति से निर्णय लिया की प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति में रखा जावे।

प्राधिकरण बैठक के निर्णय की पालना में निदेशक वित्त के पत्राकं 314 दिनांक 23.05.2017 को प्रेषित कर निवेदन किया की प्रस्ताव संख्या 11 प्राधिकरण बैठक के निर्णय प्रकरण निर्देशक वित्त से संबंधित नही हैं। यह प्रकरण उपायुक्त पश्चिम से संबंधित है अतः इसकी पुनः परीक्षण हेतु उपायुक्त पश्चिम को निर्देशित करने का निवेदन किया है। पत्रावली में आयुक्त महोदय द्वारा प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ एवं विचारार्थ हेतु रखने का निर्देशित किया है।

निर्णय

उपरोक्त प्रकरण पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत हुआ। जिस में प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लेने संबंधी निर्णय लया गया। बैठक में पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के आदेश कमांक 1597 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 एवं ग्राम मौकलावास के खसरा संख्या 512 की क्रमशः 120 एकड़ तथा 1133 एकड़ भूमि के सर्वे करने का आदेश दिया गया था जिसकी कुल देय राशि रूपये 6,47,125/– बनती है। परन्तु सर्वेयर द्वारा ग्राम मौकलावास के खसरा संख्या 512 में 1979 एकड़ भूमि एवं ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761/22 की 1113 एकड़ भूमि का सर्वे किया गया जिसकी ड्राईंग शीट भी प्रस्तुत कर दी गयी है जिस पर कुल राशि रूपये 16.19 लाख बनती है। इस संबंध में प्राप्त बिल तत्कालीन उपायुक्त द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 को मार्क किया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि सर्वे संस्था (मैसर्स सिद्धू सर्वे सर्विस) के द्वारा एक पत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह अवगत कराया गया है कि सर्वे कार्य प्रगति पर है एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के राजस्व अधिकारियों ने खसरे की संपूर्ण भूमि का सर्वे करने के निर्देश दिये है तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि इन खसरों में किस किस विभाग को कहां पर जमीन आवंटित की जानी है, यह ज्ञात करने के लिए, सर्वे कार्य राजस्व मानचित्र में सुपर इम्पोजिशन भी करना होगा इसलिए सर्वे संस्था (मैसर्स सिद्धू सर्वे सर्विस) द्वारा निवेदन किया गया था कि ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 की संपूर्ण भूमि का सर्वे कार्य करने का आदेश दिलावें। चूंकि उक्त प्रार्थना–पत्र कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य पूर्ण होने के बीच में दिया गया था अतः तत्कालीन उपायुक्त–पश्चिम से विस्तृत रिपोर्ट इस संबंध में मांगी जाने का निर्णय बैठक में सर्व सम्मति से लिया गया।

15.6.17

प्रस्ताव संख्या 7 :: श्यामनगर योजना की पत्रावलियों के संबंध में।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.01.2016 के बैठक कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 23 में लिये गये निर्णय अनुसार श्यामनगर योजना की पत्रावलीया नगर निगम का क्षेत्राधिकार में होने के कारण हस्तातरित करने का निर्णय लिया गया था। निर्णय की पालना में इस कार्यालय के पत्रांक जोन पश्चिम/2016/340 दिनांक 29.11.2016 के द्वारा श्यामनगर योजना की पत्रावलीया नगर निगम को प्रेषित की गई किन्तु आयुक्त महोदय, नगर निगम द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सूची से पत्रावलियो का मिलान करे। जिनके संबंध में न्यायालय वाद लम्बित है वह पत्रावली प्राप्त नही करे। इस आशय का पत्र भी सचिव महोदय से प्राप्त कर ही फाईल प्राप्त करे।

अतः श्याम नगर योजना की सम्पूर्ण पत्रावलिया पुनः मंगवायी जावे अथवा नही इस संबंध में प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित आयुक्त नगर निगम, जोधपुर के प्रतिनिधि श्री निसार खां, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर ने बैठक में अवगत कराया कि श्याम नगर योजना की पत्रावलियों के संबंध में प्रकरण महापौर महोदय एवं आयुक्त महोदय, नगर निगम, जोधपुर के स्तर पर बैठक करने के बाद ही किया जाना चाहिए परन्तु अध्यक्ष महोदय (आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर) द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि पूर्व निर्णय की पालना में नगर निगम, जोध्पुर द्वारा चूंकि योजना की समस्त पत्रावलियां प्राप्त नहीं की जा रही है अर्थात् माननीय न्यायालय में लम्बित एवं विवादास्पद पत्रावलियां छोड़कर शेष पत्रावलियों के लिए ही नगर निगम, जोधपुर द्वारा सहमति दी जा रही है जो कि उचित नहीं है क्यों कि किसी भी योजना की सम्पत्ति/दायित्व एक साथ ही सुपुर्द/प्राप्त की जाती है न कि अपने शर्तों के अनुसार। हाल ही में श्याम नगर से संबंधित मामले में माननीय न्यायालय ने भी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को पालना हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं। लिहाजा बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्याम नगर योजना से संबंधित पत्रावलियां/दस्तावेज जो कि नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की गयी है, पुनः जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त की जाकर उन पत्रावलियों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: रामकृष्ण सेवा आश्रम संस्था को ध्यान केन्द्र एवम् समाज उपयोगी गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन।

श्री ओ.पी.एन. कल्ला, अध्यक्ष, रामकृष्ण सेवाश्रम द्वारा प्रार्थना-पत्र एवं नवीन आवंटन नीति के तहत परिशिष्ट-1 एवं प्रपत्र 'अ' भरकर प्रस्तुत किया है तथा नवीन आवंटन नीति के तहत आवेदन-शुल्क राशि रूपये 5000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 3 मई, 2017 को प्रस्तुत किया जो शाखा द्वारा रोकड़पाल के पास जमा करवा दिया है।

आवेदक द्वारा सशुल्क 10 एकड भूमि की मांग की है। पूर्व में प्रकरण दिनांक 30 जनवरी, 2013 की कार्यकारी समिति की बैठक में जरिये प्रस्ताव संख्या 32 द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संबंध में लोरडी पण्डितजी योजना में संस्थानिक भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये।

19.6.17

किन्तु उक्त लोरडी पण्डित जी में 5 एकड भूमि ही उपलब्ध होने से संस्था द्वारा स्वीकृति/सहमति प्रदान नहीं करने के कारण प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया जा सका।

आवेदक संस्था द्वारा दिनांक 21 मई, 2015 को मांग की कि ग्राम पालडी खिचियान के खसरा संख्या 93/10 में 10 एकड भूमि आवंटन की मांग की। जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2015 को जरिये पत्र आवेदक संस्था को सूचित किया गया कि उक्त स्थान पर मण्डलनाथ आवासीय योजना प्रस्तावित है इसलिए भूमि आवंटन किया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को आवेदक संस्था ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गैंवा के खसरा संख्या 67, 68 में 10 एकड भूमि आवंटन की मांग की है। जिसके क्रम में प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27 जून, 2016 प्रस्ताव संख्या 13 द्वारा प्रस्तुत हुआ। **बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में गुलाब कोठारी बनाम स्टेट व अन्य जनहित याचिका विचाराधीन है। अतः ऐसी परिस्थिति में आवंटन संबंधी निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। अतः बैठक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम स्टेट व अन्य में निर्णय पारित होने के पश्चात् प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**

अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में आदेश प्रदान किये जा चुके है तथा सार्वजनिक हित के मामलों में राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक रामकृष्ण सेवाश्रम संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आवेदित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है, जिसके भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिबंधित है। लिहाजा आवेदन–पत्र निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 9 :: तिंवरी खसरा संख्या 761 में 25 बीघा भूमि केन्द्रीय विद्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।

तहसीलदार, तिंवरी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 में 25 बीघा भूमि केन्द्रीय विद्यालय हेतु भूम आवंटन करने का अनुरोध किया है। केन्द्रीय विद्यालय हेतु अपर जिला कलक्टर एवं माननीय संसदीय सचिव श्री भैराराम चौधरी (सियोल) द्वारा भी अनुशंषा की है।

खसरा संख्या 761 ग्राम तिंवरी का राजस्व रिकार्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज नहीं होने से जिला कलक्टर, जोधपुर को पत्र लिखा गया था जिसके फलस्वरूप जिला कलक्टर, जोधपुर क आदेश क्रमांक प.12 (3)/ राज/ हसता/ जेडीए/ 2017/ 2903 दिनांक 29 मई, 2017 को खसरा संख्या 761 ग्राम तिंवरी रकबा 256 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तान्तरित की गयी है। प्राधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 1 जून, 2017 द्वारा ग्राम तिंवरी के खसरा सख्या 761 की लगान राशि रूपये 2870/– जमा कराने हेतु आदेश जारी कर दिये गये है। भूमि का नामान्तकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम अभी होना है। केन्द्रीय विद्यालय सेमी अरबन/रूरल एरिया में खोलने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के एनेक्सचर–1 के अनुसार 10 एकड़ भूमि की

15.6.17

आवश्यकता रहती है। जिसका प्रस्ताव तहसीलदार तिवरीं को प्रेषित किया गया है। तिंवरी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन श्री जयदीप दास के द्वारा उनके पत्र दिनांक 31 मार्च, 2017 जो कि जिला कलक्टर, जोधपुर को को सम्बोधित है, में दी गयी है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 रकबा 256 बीघा जमीन किस्म गैर मुमकिन गौचर नामान्तकरण संख्या 4707 दिनांक 8 जून, 2017 द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है, जिसमें से 10 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय के लिए आवेदन किया गया है, प्रकरण में भूमि का भू-उपयोग निदेशक-आयोजना से प्राप्त कर, आवेदन को वेबसाईट पर अपलोड करने के पश्चात् आवेदक संस्था को प्रस्तावानुसार 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटन की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का डिमार्केशन भी राजस्व नक्शे में कर प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 10 :: पुलिस थाना महिला पश्चिम हेतु 5 बीघा भूमि खसरा संख्या 659 में भूमि आवंटन बाबत।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नवीन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नवीन आवंटन नीति 2015 के प्रपत्र से भरकर प्रस्तुत किया कि ग्राम चौखा खं. नं. 659 में 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

आवेदन पत्र के सलंग्न पुलिस उपायुक्त (पूर्व) द्वारा ग्राम चौखा खं.नं. 659 की जमा बंदी के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। भूमि की किस्म गैर मुमकिन बारानी प्रथम है। आयोजना शाखा कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा खं. नं. 659 मास्टर प्लान 2023 में भू-उपयोग परिधि नियंत्रण पटटी में आरक्षित दर्शाया है। पार्ट लैण्ड युज प्लान प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में सलंग्न है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में पुलिस उपायुक्त-पूर्व द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर विचार विमर्श किया गया एवं बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत आवेदन को जनहित में मानते हुए ग्राम चौखा के खसरा संख्या 659 किस्म गैर मुमकिन बारानी-प्रथम जो कि परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है, पुलिस थाना महिला पश्चिम हेतु उपरोक्त प्रस्तावानुसार निःशुल्क भूमि आवंटन करने की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को निःशुल्क आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का डिमार्केशन भी राजस्व नक्शे में कर प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 11 :: भूखण्ड संख्या सी-466 अरणा विहार योजना का मूल निवास प्रमाण पत्र लॉटरी होने के पश्चात् 1 वर्ष 3 माह पश्चात् प्रस्तुत करने उपरान्त प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।

15.6.17

प्रार्थी श्रीमती निशा पत्नी श्री कैलाश कुमार चौहान द्वारा प्राधिकरण की आवासीय योजना अरणा विहार योजना में आवेदन किया गया है। प्रार्थी को लॉटरी द्वारा अरणा विहार योजना में भुखण्ड सख्यां 466 सेक्टर सी में आवंटन हुआ है। प्रार्थी को मुल निवास प्रमाण पत्र हेतु **प्राधिकरण पत्रांक 835 दिनांक 20.4.2016 को भिजवाया गया था तथा प्राधिकरण पत्रांक** 1367 दिनांक 4.11.2016 को भी मुल निवास प्रस्तुत करनें हेतु पत्र भिजवाया गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा मुल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया था ।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.5.2017 को प्रार्थना पत्र के सलग्न मुल निवास प्रामाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो लॉटरी होने से एक वर्ष तीन माह पश्चात प्रस्तुत किया है। जिस पर विधी शखा की रिर्पोट एवम् सचिव महोदय तथा आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार प्रकरण कार्यकारी समिति

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण में अब तक आवंटन–पत्र जारी नहीं हुआ है लिहाजा नियमानुसार आवंटी को आवंटन पत्र जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: भूखण्ड संख्या 41 सेक्टर बी मण्डलनाथ आवासीय योजना में आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।

भूखण्ड स. 41 सेक्टर बी मण्डलनाथ आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 12.9.2015 को क्षेत्रफल 30 बाई 60 त्र 167.22 वर्गमीटर का श्री मान सिंह पुत्र श्री सुभाष सिंह चौहान को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 909 दिनांक 28.12.2015 को जारी किया जा चुका है। जावक शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवंटन पत्र प्रार्थी को स्पीड पोस्ट द्वारा भिजवाया जा चुका है। **तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त नही हुई है। तथा डाक भी लौटकर पुनः प्राप्त नही हुई** है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त नही होना बाबत प्रस्तुत किया हैं। आवंटन पत्र 28.12.2015 को जारी किया जा चुका है जिसके अनुसार एक वर्ष छ माह की अवधि हो चुकी हैं। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः–:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/ बहाल में निम्न राशि करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

आवंटन पत्र एवं शास्ति वसूल किये जाने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की जावक शाखा से इस बात का प्रमाणिकरण प्राप्त किया जावे कि आवेदक श्री मानसिंह पुत्र श्री सुभाष सिंह चौहान को आवंटन–पत्र कमांक 909 दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 प्रेषित किया गया है। वह

19.6.17

आवेदक को प्राप्त हुआ है अथवा नहीं? इस बाबत रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा यदि आवंटन पत्र प्राप्त होना नहीं पाया जाये तो अब आवेदक को आवंटन–पत्र जारी किया जावे तथा यदि आवेदक से ब्याज व शास्ति वसूल नहीं की जावे। यदि प्राधिकरण की जावक शाखा द्वारा यह पाया जाता है कि आवेदक को प्राधिकरण द्वारा आवंटन–पत्र जारी किया जा चुका है तथा उक्त आवंटन पत्र आवेदक को प्राप्त हो चुका है तब प्रकरण में आवंटन स्वतः निरस्तीकरण के 2 वर्ष की अवधि के भीतर होने से कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित मानते हुए नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल करते हुए नियमानुसार लीज डीड जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: भूखण्ड संख्या 105 सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना का कॉर्नर भूखण्ड एवं अधिक क्षैत्रफल की राशि लेने के संबंध में।

प्रार्थी को किर्ती नगर सेक्टर बी भूखण्ड सं 286 क्षेत्रफल 30 बाई 60 = 167.22 वर्गमीटर का आवंटन दिनांक 6.10.1988 को जारी होकर लाईसेंस एवं साईट प्लान दिनांक 28. 11.1990 को जारी किया जा चुका है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 2.10.2010 की प्रस्ताव सं 12 के अनुसार जिन आवंटन प्रकरणों में भूखण्ड की सम्पूण राशि जमा हो चुकी है अथवा लीज डीड भी जारी हो चुकी ह। उन्हे किर्ती नगर सेक्टर बी में आवंटी को कब्जा आवंटित भूखण्डों के बदले प्राधिकरण की सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना के समीप योजना बनाई जाकर समतुल्य के भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

दिनांक 7.12.2011 को सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में निकाली गई लॉटरी में भी नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मालाराम को भूखण्ड सख्या 105 क्षेत्रफल क्षेत्रफल 30 बाई 64 = 178.36 वर्गमीटर आवंटित किया गया था। आवंटन पत्र जारी नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट सी–34 अनुसार पूर्व में भूखण्ड सं. 105 सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना का 30 बाई 34 कॉर्नर का नही बताया है। वर्तमान आयोजना शाखा द्वारा साईट प्लान प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उक्त भूखण्ड 30 बाई 60 कॉर्नर का है। जेईएन की मौके रिपोर्ट पर भूखण्ड कॉर्नर है। क्षेत्रफल 30 बाई 60 है। भूखण्ड रिक्त है।

पूर्व में किर्ती नगर बी सेक्टर 286 का क्षेत्रफल 30 बाई 60 = 167.22 वर्गमीटर वर्तमान आंवटित भूखण्ड कॉर्नर का है। क्षेत्रफल 30 बाई 64 = 178.36 वर्गमीटर है। अधिक क्षेत्रफल 178.22 –167.22 = 11.14 वर्गमीटर है।

प्राधिकरण की बैठक में कॉर्नर का भूखण्ड आवंटन किये जाने एवं अधिक क्षेत्रफल 11.14 वर्गमीटर की राशि वसूल किये जाने हेतु निर्णायार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में प्रकरण के संबंध में उपायुक्त–उत्तर, प्राधिकरण से विस्तृत जानकारी प्राप्त की, पत्रावली का समिति द्वारा अवगत किया गया एवं बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त–उत्तर, प्राधिकरण के प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 105 सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना के अतिरिक्त क्षैत्रफल को आवंटी को आवंटन करने के लिए अतिरिक्त क्षैत्रफल की आरक्षित दर की दुगनी से कीमतन राशि वसूल की जावे तथा भूखण्ड कॉर्नर भूखण्ड है अतः संपूर्ण क्षैत्रफल पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाकर नियमानुसार लीज डीड जारी करने की कार्यवाही की जावे।

19.6.17

प्रस्ताव संख्या 14 :: जी.एस.एस. 33/11 के.वी. खसरा संख्या 180 ग्राम जोईन्तरा भूमि आवंटन बाबत।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक दिनांक 4.5.2017 के प्रस्ताव संख्या 4 के निर्णय की पालना में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जिला वृत जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 30.5.2007 के द्वारा खसरा संख्या 180 ग्राम जोईन्तरा में 33 केवी सब स्टेशन हेतु 2 बीघा भूमि का आवंटन करने का निवेदन किया है।

ग्राम जोइन्तरा तहसील बावड़ी के खसरा सं 180 रकबा 61.13 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि संलग्न जमाबंदी नकल अनुसार प्राधिकरण के नाम दर्ज भूमि है। आवंटन हेतु चही गई भूमि ग्रम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में संलग्न जमाबंदी में दर्शायी गयी है एवं भूमि मौके पर खाली है।

राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 28.10.2016 अनुसार राजस्व ग्राम जोइन्तरा बिन्दु संख्या 2 की श्रेणी में सम्मिलित है। प्रारूप मास्टर प्लान – 2031 अनुसार भूमि का प्रस्तावित भू–उपयोग ग्रामीण क्षेत्र हेतु आरक्षित है एवं आपत्ति/सुझाव लोकेशन मानचित्र अनुसार खसरा विशेष पर कोई आपत्ति नही है। वांछित उपयोग (जी.एस.एस.) विद्यमान /प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई नियोजन मापदण्डो अनुरूप हाने के पश्चात MDP&DCR अनुसार Public Utilities के अंतर्गत सक्षम अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तावित भू–उपयोग में वांछित उपयोग अनुज्ञेय है। भूमि आवंटन किये जाने वास्ते प्राधिकरण की बैठक में वास्ते निर्णय हेतु प्रेषित हुआ।

निर्णय

बैठक में अवगत कराया गया कि जी.एस.एस. 23/11 के.सी. ग्राम जोईन्तरा के लिए पूर्व में नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 2017 से खसरा संख्या 224 भूमि किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 1000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी परन्तु जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा उक्त भूमि के स्थान पर ग्राम जोईन्तरा के खसरा संख्या 180 रकबा 61–13 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन गौचर में से 2 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है। उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान में ग्रामीण क्षैत्र हेतु आरक्षित है एवं आबादी/स्थिति लोकेशन मानचित्र अनुसार खसरा विशेष पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनाक 6 अगस्त, 2009 एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पत्र कमांक 96 दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के कम में 33/11 केवी सब स्टेशन की स्थापना के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि प्रचलित आवासीय आरक्षित की 50 प्रतिशत पर खसरा संख्या 180 रकबा 61–13 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में से पूर्व स्वीकृति दिनांक 18 अप्रैल, 2017 को निरस्त करते हुए नियमानुसार आवंटन के लिए प्रकरण को राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का डिमार्केशन भी राजस्व नक्शे में कर प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 15 :: भूखण्ड संख्या बी–185, विज्ञान नगर योजना श्री हरेन्द्र पाण्डेय/ केदारनाथ पाण्डेय।
भूखण्ड संख्या बी–195, विज्ञान नगर योजना श्री दिलीप कुमार/ चौखाराम

भू.स. बी–185 विज्ञान नगर योजना का लौटरी दिनांक 20.10.2015 को श्री हरेन्द्र पाण्डेय/केदारनाथ पाण्डेय को आवंटन हुआ था। आवंटन पत्र जारी नही किया गया।

19.6.17

भू.स. बी–195 विज्ञान नगर योजना का लौटरी दिनांक 20.10.2015 को श्री दिलिप कुमार/चौखाराम को आवंटन हुआ था। लेकिन आवंटन पत्र बी–195 के स्थान पर सहवन से भू.स. 185 का आवंटन पत्र दिलिप कुमार के नाम से जारी होकर राशि जमा कराई चुकी है।

भू.स. बी–185 विज्ञान नगर योजना श्री हरेन्द्र पाण्डेय के नाम आवंटन पत्र जारी **नही** किया गया। चुंकि 185 का भू.स. 195 के सहवन से जारी होने के कारण आवंटन पत्र जारी नही किया गया।

भू.स बी–185 श्री हरेन्द्र पाण्डेय के नाम जारी किया जाना हैं एवं भू स बी– 185 के स्थान पर भ.स. बी–195 श्री दिलिप कुमार के नाम आवंटन संसोधित आवंटन पत्र जारी किया जाना है।

उपरोक्त कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि पत्रावली में उपलब्ध लॉटरी स्लीप से जाहिर होता है कि श्री हरेन्द्र पाण्डे के नाम भूखण्ड संख्या **बी–185 एवं श्री दिलीप कुमार के नाम भूखण्ड संख्या बी–195 मूल रूप से आवंटित हुआ था** परन्तु उसके पश्चात् सूची बनाते समय दोनों ही व्यक्तियों के नाम के आगे भूखण्ड संख्या 185 सहवन से लिख दिया गया एवं श्री दिलीप कुमार के नाम आवंटन पत्र भी भूखण्ड संख्या 185 का जारी किया जा चुका है। लिहाजा बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मूल आवंटन स्लीप के अनुसार ही दोनों आवेदकों के आवंटन को स्वीकार किया जावे एवं श्री दिलीप कुमार द्वारा भूखण्ड संख्या 195 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 185 के लिए जमा करायी गयी राशि का समायोजन उनको मूल रूप से आवंटित भूखण्ड के अनुरूप किया जावे एवं तदनुसार दोनों ही आवंटियों को नियमानुसार लीज डी जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: **भूखण्ड संख्या सी–168, विज्ञान नगर योजना श्री मेहरू बंसल/ हरीश बंसल।**
भूखण्ड संख्या सी–166, विज्ञान नगर योजना श्रीमती जयन्ति दवे/ योगेन्द्र कुमार दवे।

भू.स. सी–168 विज्ञान नगर योजना का लौटरी दिनांक 20.10.2015 को श्री मेहुल बंसल/हरीश बंसल को आवंटन हुआ था। आवंटन पत्र जारी नही किया गया।

भू.स. सी–166 विज्ञान नगर योजना का लौटरी दिनांक 20.10.2015 को श्रीमति जयन्ति दवे/ योगेन्द्र कुमार दवे को आवंटन हुआ था। लेकिन आवंटन पत्र सी–166 के स्थान पर सहवन से भू.स. सी–168 का आवंटन पत्र श्रीमति जयन्ति दवे के नाम से जारी होकर राशि जमा कराई चुकी है।

भू.स. सी–168 विज्ञान नगर योजना श्री मेहुल बंसल के नाम आवंटन पत्र जारी नही किया गया। चुंकि 166 के स्थान पर भू.स. 168 का सहवन से जारी होने के कारण आवंटन पत्र जारी नही किया गया।

भू.स सी–168 श्री मेहुल बंसल/हरीश बंसल के नाम जारी किया जाना हैं एवं भू स सी–168 के स्थान पर भ.स. सी–166 श्रीमति जयन्ति दवे के नाम संसोधित आवंटन पत्र जारी किया जाना है।

15.6.17

उपरोक्त कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में पत्रावली में मौजूद आवंटन पर्ची का अवलोकन करने से जाहिर है कि श्री मेहरू बंसल को भूखण्ड संख्या सी–158 आवंटित हुआ था तथा श्रीमती जयन्ति दवे को भूखण्ड संख्या सी–166 आवंटित हुआ था। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से मूल आवंटन पर्ची के अनुसार ही आवंटन को स्वीकार करने तथा गलत रूप से जमा राशि को उपरोक्त भूखण्ड आवंटन पेटे देय राशि के विरूद्ध समायोजित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: भूखण्ड संख्या सी–164, विज्ञान नगर योजना श्री खेतसिंह/भोजराज सिंह।
भूखण्ड संख्या सी–104, विज्ञान नगर योजना रविन्द्र कुमार पारीक/ सत्यनारायण पारीक।

भू.स. सी–164 विज्ञान नगर योजना का लौटरी दिनांक 20.10.2015 को श्री खेतसिंह /भोजराज सिंह को आवंटन हुआ था। भू. स. सी–164 के स्थान पर सहवन से भू सं. 104 का जारी होकर राशि भी जमा कराई जा चुकी है।

भू.स. सी–104 विज्ञान नगर योजना का लौटरी दिनांक 20.10.2015 को श्री रविन्द्र कुमार पारीक/ सत्यानारायण पारीक को आवंटन हुआ था। आवंटन पत्र जारी होकर राशि भी जमा कराई जा चुकी है।

भू.स. सी–104 के स्थान पर भू.स सी–164 श्री खेतसिंह/ भोजराज सिंह को भूखण्ड का संसोधित आवंटन पत्र जारी किये जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में पत्रावली में मौजूद आवंटन पर्ची का अवलोकन करने से जाहिर हुआ कि श्री खेतसिंह को भूखण्ड संख्या सी–164 एवं श्री रविन्द्र कुमार को भूखण्ड संख्या सी–104 विज्ञान नगर में आवंटित हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति उपरोक्तानुसार ही आवंटन समिति द्वारा किये गये आवंटन को यथावत् करने का निर्णय लिया गया एवं सहवन से गलत भूखण्ड हेतु जमा राशि का सही रूप से आवंटित भूखण्ड के पेटे राशि का समायोजन करते हुए नियमानुसार लीज डीड जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: पुलिस थाना करवड 5 बीघा भूमि खसरा संख्या 126 भूमि आवंटन बाबत।

पुलिस थाना कड़वड़ ग्राम मोजा मेलावास खसरा संख्या 126 रकबा 57.19 मे से 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु विभागाध्यक्ष से प्रपत्र 'स' प्रस्तुत है।

पुलिस थाना कड़वड हेतु ग्राम मेलावास के ख.न.126 रकबा 57.19 बीघा किस्म बारानी तृतीय मे से 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई हैं। पटवारी हल्का मैलावास द्वारा जारी जमाबन्दी नकल अनुसार ख.न. 126 रकबा 57.19 बीघा किस्म बारानी किस्म तृतीय वर्तमान कें

19.6.17

मीयुटेशन नबंर –917 दिनांक 2.2.2017 के द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

राजस्व ग्राम मेलावास के खसरा संख्या 126 जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग अर्बन एरिया से बाहर ग्रामिण में स्थित है। मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 जोधपुर रीजन लैण्डयुज खसरा संख्या 126 ग्राम मेलावास नोलेज सीटी के अन्दर है।

अतः पुलिस थाना कडवड़ को 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपायुक्त–पुलिस द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र के क्रम में पुलिस थाना कडवड हेतु ग्राम मैलावास के खसरा संख्या 126 रकबा 57–19 बीघा भूमि किस्म बारानी–तृतीय में से 5 बीघा भूमि निःशुल्क भूमि आवंटन करने के लिए प्राधिकरण की निःशुल्क भूमि आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन की राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण को राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण भेजने से पूर्व भू–उपयोग अनुज्ञेयता के बारे में निदेशक–आयोजना की पत्रावली पर टिप्पणी प्राप्त की ज़ावे। इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का डिमार्केशन भी राजस्व नक्शे में कर प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 19 :: राजस्व ग्राम जाजीवाल कुतडी खसरा संख्या 68 रकबा 51–01 में से 6 बीघा रेल लिंक लाईन बनाड रेलवे स्टेशन से 19 एफ.ए.डी. बनाड तक के लिए भूमि आवंटन हेतु।

राजस्व ग्प्रम जाजीवाल कुतड़ी ख. न. 68 रकबा 51.01 मे से 6 बीघा भूमि रेल लिंक लाईन बनाड़ रेल्वे स्टेशन से 19 एफ.ए.डी. बनाड़ तक के लिए भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

राजस्व ग्प्रम जाजीवाल कुतड़ी ख. न. 68 रकबा 51.01 मे से 6 बीघा भूमि का मौका देखा गया। उक्त खसरा संलग्न जमाबन्दी के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। उक्त खसरा जाजीवाल रेल्वे फाटक से जाजीवाल रेल्वे स्टेशन की तरफ करीब 1 किमी. दूरी पर रेल्वे फाटक से जाजीवाल कुतड़ी जाने वाले रास्ते पर रक्षा विभाग की सीमारेखा के पास स्थित है। मौके पर उक्त भूमि वर्तमान में खाली पड़ी हैं तथा सड़क किनारे – किनारे बिजली के पोल व लाईन (तार खीचें हुए) स्थित है। तथा शेष भूमि में अग्रेजी बबुल की झाडिया स्थित है।

राजस्व ग्प्रम जाजीवाल कुतड़ी ख. न. 68 रकबा 51.01 मे से 6 बीघा भूमि का भू–उपयोग लैण्ड युज प्लान 2023 के अन्तर्गत उक्त गांव मास्टर प्लान 2023 के अर्तगत परिधि नियंत्रण पट्टी के अर्तगत आरक्षित है। उक्त गांव 72 गांवो के अर्तगत शामिल है।

अतः राजस्व ग्प्रम जाज़ीवाल कुतड़ी ख. न. 68 रकबा 51.01 मे से 6 बीघा भूमि रेल लिंक लाईन बनाड़ रेल्वे स्टेशन से 19 एफ.ए.डी. बनाड़ तक के लिए भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

19.6.17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम जाजीवाल कुतडी के खसरा संख्या 68 रकबा 51-01 बीघा भूमि में से 6-00 बीघा भूमि रेल लिंक लाईन बनाड रेलवे स्टेशन से 19 एफ.ए.डी. बनाड़ तक के लिए डी.एल.सी. अथवा आरक्षित दर, दोनों में से जो दर अधिक है, पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्तर्गत आरक्षित होने के कारण प्रकरण में आवंटन करने की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को उपरोक्तानुसार भूमि आवंटन की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रस्तादित भूमि का डिमार्केशन भी राजस्व नक्शे में कर प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 20 :: प्राधिकरण वर्ष 2017- 2018 के लिए विभिन्न शाखाओं में कार्य संचालन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध कार्मिकों को संविदा के आधार पर लेने बाबत।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 4 मई 2017 के प्रस्ताव सं. 12 मे 83 कार्मिको एवं राशि रू. 70.70 लाख का प्रस्ताव सर्व समिति से पारित किये जाने पर जोधपुर विकास प्राधिकरण मे वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न शाखाओ मे कार्य संचालन हेतु रिक्त पदो के विरूद्ध कार्मिको की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए संविदा के आधार पर लिये जाने बाबत जारी की गयी निविदा सूचना सं. 06/2017-18 जो दिनांक 19.05.17 को खोली गई, जिसमे एकल निविदा प्राप्त हुई एवं इस कार्य हेतु प्राधिकृत उपापन समिति की बैठक दिनांक 22.05.17 मे लिए गए निर्णय के क्रम में जोधपुर पूर्व सैनिक बहुउदेशीय सहकारी समिति लिमिटेड जोधपुर की दर राशि रू. 118/- प्रति कार्मिक, प्रति माह कुल 64 कार्मिको की राशि रू. 7552/- प्रति माह की दर को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। एसओपी के पार्ट द्वितीय के आईटम सं. 1 के अनुसार 25.00 लाख से अधिक के उपापन हेतु निविदा स्वीकृति के लिए कार्यकारी समिति स्वीकृति हेतु अधिकृत है एवं एकल निविदा प्राप्त होने के कारण दरो को कार्यकारी समिति की स्वीकृति पश्चात बोर्ड बैठक मे अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति मे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में अवगत कराया गया कि शिड्यूल ऑफ पॉवर के पार्ट-II के आईटम संख्या 1 के अनुसार 25.00 लाख रूपये से अधिक के उपापन हेतु निविदा स्वीकृति के लिए कार्यकारी समिति सक्षम है। प्राधिकरण में वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न शाखाओं में कार्य संचालन हेतु रिक्त पदों के विरूद्ध कार्मिकों को संविदा के आधार पर लेने बाबत मामले में एकल निविदा जोधपुर पूर्व सैनिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड की प्राप्त हुई है जिसमें दर राशि रूपये 118/- प्रति कार्मिक प्रतिमाह है एवं प्रतिमाह कुल 64 कार्मिक की राशि 7,552/- होती है। जिसका बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया परन्तु चूंकि यह प्रकरण एकल निविदा का भी है इसलिए इस प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक में भी पश्चात्‌वर्ती अनुमोदन प्राप्त किया जावे एवं यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति के अनुमोदन अनुसार संबंधित संस्था को नियमानुसार/आवश्यकतानुसार संविदा के आधार पर कार्मिकों को लगाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय में सोनी कम्प्यूटर के माध्यम से लगाये जाने श्रम में संविदा खोलने पर सोनी कम्प्यूटर की दर 0.00/- (शून्य) प्राप्त होने एस.ओ.पी. पार्ट आईटम 1 में उपापन नियम कार्यकारी समिति को अधिकृत बाबत।

15.6.17

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 4 मई 2017 के प्रस्ताव सं. 13 मे 46 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं राशि रू. 55.48 लाख का प्रस्ताव सर्व समिति से पारित किये जाने पर जोधपुर विकास प्राधिकरण मे वर्ष 2017–18 के लिए विभिन्न शाखाओ मे कार्य संचालन हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए संविदा के आधार पर लिये जाने बाबत जारी की गयी निविदा सूचना सं. 07/2017–18 जो दिनांक 30.05.17 को खोली गई, जिसमे कुल 6 निविदाऐं प्राप्त हुई एवं इस कार्य हेतु प्राधिकृत उपापन समिति की बैठक दिनांक 02.06.17 मे लिए गए निर्णय के क्रम में सोनी कम्प्यूटरर्स, रिया हाऊस सोजती गेट, जोधपुर की दर राशि रू. 0.00 (शून्य) सेवा शुल्क प्रति कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रति माह कुल 46 कम्प्यूटर ऑपरेटर की राशि रू. 0.00 (शून्य) सेवा शुल्क प्रति माह की दर को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। एसओपी के पार्ट द्वितीय के आईटम सं. 1 के अनुसार 25.00 लाख से अधिक के उपापन हेतु निविदा स्वीकृति के लिए कार्यकारी समिति स्वीकृति हेतु अधिकृत है। अतः उक्त प्रस्ताव कार्यकारी समिति मे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

यह प्रकरण बैठक में जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्ष 2017–18 के लिए संविदा के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटरों की आपूर्ति बाबत मैसर्स सोनी कम्प्यूटर जोधपुर की दरें अनुमोदन करने के संबंध में प्रस्तुत हुआ। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रकरण में सोनी कम्प्यूटर्स ने अधिकतम 46 कम्प्यूटर ऑपरेटर जोधपुर विकास प्राधिकरण में आऊटसोर्स के माध्यम से दिये जाने हेतु "शून्य सेवा शुल्क" प्रति कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रतिमाह का आवेदन दिया है। जिसे प्राधिकृत उपापन समिति की बैठक दिनांक 2 जून, 2017 में लिये गये निर्णय के द्वारा अनुमोदन किया गया है। चूंकि शिड्यूल ऑफ पॉवर के पार्ट–II के आईटम संख्या–1 के अनुसार 25.00 लाख से अधिक के उपापन हेतु निविदा स्वीकृति के लिए कार्यकारी समिति की स्वीकृति आवश्यक है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श उपरोक्तानुसार प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: खसरा संख्या 303 रकबा 266.66 वर्गगज ग्राम कुडी भगतासनी मुआवजे के रूप में आवंटित में आवंटित भूखण्ड संख्या ओ–349 रकबा 233.33 वर्ग गज के स्थान पर सेक्टर ए में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

अवार्ड सं. 204 खसरा सं. 303 रकबा 266.66 वर्गगज ग्राम कुड़ी भगतासनी अवार्डी श्री अर्पित पारख पुत्र बंसत पारख के नाम दर्ज है। अवार्डी द्वारा खसरा नं. 303 कुड़ी भगतासनी में भूखण्ड सं. 142 रकबा 266.66 वर्गगज जरिये पंजीकृत बेचाननामें के उक्त भूमि खातेदार भवंरलाल पुत्र घीसालाल से क्रय की है। उक्त भूखण्ड उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण, जोधपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख कमांक 2273/95 दिनांक 13.12.1995 के 5 भूखण्डों में से एक है। जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है। एवं अवाप्त की गई भूमि में मुआवजे हेतु एक भूखण्ड एन–246 रकबा 266.66 दिनांक 08.09.2011 की लॉटरी में आवंटित किया गया परन्तु उक्त भूखण्ड 120 फुट चौड़ी सड़क पर होने के कारण निरस्त कर दिनांक 20.07.2012 की लॉटरी में एक अन्य भूखण्ड ओ–349 रकबा 233.33 व.ग. का आवंटन किया गया। अवार्डी द्वारा एक आपत्ति दर्ज की गई जिसके अनुसार सेक्टर ए के भूखण्डों के अवाप्त भूमि को उसी सेक्टर में 100 मीटर के दायरे में पूर्ण विकसित भूखण्डों के रूप में किया जाना निर्देशित है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी बैठक दिनांक 27 मई 2011 के प्रस्ताव सं. 03 द्वारा यह निर्णय किया गया कि मुआवजे के बदले भूखण्ड यथासंभव अवाप्त सुदा भूखण्ड के लगभग 100 मीटर की परिधि में उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में एक याचिका 5678/13 माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो चुकी हैं जो अभी लम्बित है। इसी प्रकार का एक अन्य प्रकरण दिनांक 05.08.2016 की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा गया जिसमें निर्णय लिया गया कि " बैठक

19.6.17

में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री बसन्त पारख को 3 अलग–अलग भूखण्ड विवेक विहार योजना के सेक्टर–ए, सेक्टर–ई एवं सेक्टर–आई में आंवटित किये गयें है। आवेदक मूल रूप से अवार्डी था। अतः कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25 मई, 2011 के प्रस्ताव संख्या 3 के कम में पूर्व में आंवटित तीनों भूखण्डों को निरस्त करते हूए सेक्टर ए में एक भूखण्ड अपेक्षित माप का आंवटित किया जावें।"

उक्त प्रकरण में अवार्डी की रूपान्तरित मूल भूमि सेक्टर ए में थी एवं मुआवजे में आंवटित भूखण्ड सेक्टर ओ में है। इसी आपत्ति के कारण अवार्डी द्वारा याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं जो अभी लम्बित है। अतः प्रार्थी को अवाप्त भूखण्ड के मुआवजे के रूप में आवंटित भूखण्ड संख्या ओ–349 रकबा 233.33 व.ग. के स्थान पर सेक्टर ए में भूखण्ड आंवटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनाक 27 मई, 2011 के प्रस्ताव संख्या 3 के कम में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को मुआवजा के रूप में आवंटित भूखण्ड संख्या ओ–349 विवेक विहार योजना रकबा 233.33 वर्ग गज के स्थान पर विवेक विहार योजना के सेक्टर–ए में भूखण्ड नियमानुसार आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: खसरा संख्या 302/1 रकबा 500 वर्ग गज ग्राम कुडी भगतासनी मुआवजे के रूप में आवंटित में आवंटित भूखण्ड संख्या एच 622 रकबा 111.11 वर्गगज के स्थान पर सेक्टर ए में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना हेतु अवाप्त भूमि के अवार्ड आदेश में अवार्ड सं. 165 खसरा 302/1 रकबा रूपान्तरित 500 वर्गगज ग्राम कुड़ी भगतासनी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री मंशाराम भार्गव के नाम दर्ज है। सतीश कुमार ने उक्त भूमि शंकर पुत्र बाबुलाल मेघवाल से जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामें के दिनांक 31.01.1997 को क्रय की। जिसका पट्टा क्रमांक 2941 दिनांक 13.12.1995 रकबा 1000 वर्गगज है। श्री सतीश कुमार को उक्त अवार्ड की अवाप्त भूमि के मुआवजे के रूप में दिनांक 08.09.2011 की लॉटरी में भूखण्ड ए–81 रकबा 350 वर्गगज, एच–622 रकबा 111.11 वर्गगज का आंवटन किया गया है। **उक्त अवार्ड के 20 प्रतिशत आवासीय भूमि के मुआवजे के रूप में दिये जाने हेतु लॉटरी दिनांक 08.09.2011 द्वारा भूखण्ड संख्या ए–81 रकबा 350 व.ग. एवं एच–622 रकबा 111.11 व.ग. का आंवटन हुआ।** अवार्डी ने माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रीट पीटीशन संख्या 1917/2015 अनवान सतीश कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर कर अवाप्तसुदा भूमि सेक्टर ए में स्थित होने से भूखण्ड सं. एच–622 रकबा 111.11 व.ग. भूखण्ड के स्थान पर समान क्षेत्रफल का भूखण्ड ए सेक्टर में दिये जाने हेतु वाद दायर किया है। अवार्डी द्वारा एक शपथ पत्र एवं बेचाननामें की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत की है।

दिनांक 20 मई 2010 को नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी पत्र के अनुसार निर्णय लिया गया कि, **"कुड़ी भगतासनी ग्राम के मुआवजाधारियों को यथासंभव कुड़ी भगतासनी ग्राम की भूमि एवं सांगरिया ग्राम के मुआवजाधारियों को यथासंभव सांगरिया ग्राम की भूमि में विकसित भूखण्ड आंवटित किये जावें।"**

इस संबंध में दिनांक 10 मई 2011 को आयोजित प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 में निर्णय लिया गया था, कि, **"ऐसे मुआवजाधारी जिनके भूखण्ड विधिवत रूप से कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है, को मुआवजे के बदले भूखण्ड यथासंभव अवाप्तसुदा भूखण्ड के लगभग 100 मीटर की परिधि उपलब्ध करवाये जावें।"**

19.6.17

अवार्डी की अवाप्त की गई 500 वर्गगज की भूमि के एवज में 08.09.2011 की लॉटरी में जो भूखण्ड आंवटित किये गयें। उनमें एक भूखण्ड ए–81 रकबा 350 वर्गगज का है। शेष अन्य एक भूखण्ड सेक्टर में एच–622 आंवटित किया गया। अवार्डी को 500 व.ग. में से 350 व.ग. भूमि सेक्टर ए में आंवटित कर दी गई है। शेष 150 व.ग. का आवंटन कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णय अनुसार अवार्डी के अवाप्त भूमि के सेक्टर में किया जाना है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त सुदा भूमे खसरा सं. 302/1 ग्राम कुड़ी भगतासनी में वर्तमान में योजना के ए सेक्टर स्थित है एवं आवंटित भूखण्ड एच–622 का सेक्टर उक्त भूमि से लगभग 2.5 किमी. दूर ग्राम सांगरिया में है।

सेक्टर ए के रिक्त भूखण्डों की सूची सलंग्न कर कार्यकारी समिति की बैठक के निर्णयानुसार एवं अवार्डी की मांग अनुसार उसके अवाप्त भूमि के मुआवजे के रूप में आवंटित भूखण्ड संख्या एच–622 रकबा 111.11 व.ग. के स्थान पर प्रार्थी को सेक्टर ए में भूमि आंवटन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 20 मई, 2010 एवं प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 10 मई, 2011 के प्रस्ताव संख्या–3 के क्रम में बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अवार्डी श्री सतीश कुमार पुत्र श्री मंशाराम भार्गव को विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या एच–622 रकबा 111.11 वर्ग गज के स्थान पर विवेक विहार योजना में सेक्टर–ए में नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 24 :: पशु चिकित्सा उपकेन्द्र मोकडाकलां में 1000 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि खसरा संख्या 366/3 रकबा 351–09 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में से भूमि आवंटन करने के संबंध में।

संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र मय राज्य सरकार के आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र प्रपत्र–स में पेश कर ग्राम मोगडाकलां में पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु 100 ग 100 वर्गफीट भूमि निःशुल्क आवंटन करने का अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार (दक्षिण) एवं पटवारी (दक्षिण) की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोगडाकलां के खसरा नं. 366/3 रकबा 351.09 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं मौके पर चाहे गये प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध है।

निदेशक (आयोजना) की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम मोगडाकलां के प्रस्तावित खसरा संख्या 366/3 का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2023 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी मे आरक्षित है। प्रस्तावित भूमि पशु चिकित्सालय प्रयोजनार्थ चाहा गया हैं। अतः परिधि नियंत्रण पट्टी में उक्त उपयोग अनुज्ञय नही है। अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, मोगडाकलां के लिए 1000 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 366/3 रकबा

19.6.17

351—09 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में आवंटन करने का निर्णय लिया गया। चूंकि प्रश्नगत भूमि का भू—उपयोग मास्टर प्लान 2023 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी आरक्षित है। अतः सार्वजनिक हित का मामला होने से प्रकरण में भू—उपयोग अनुमति एवं निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिशंषा के साथ आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का डिमार्केशन भी राजस्व नक्शे में कर प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 25 :: पशु चिकित्सा उपकेन्द्र सालावास में 1000 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि खसरा संख्या 463/1 रकबा 152 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर में से भूमि आवंटन करने के संबंध में।

संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र मय राज्य सरकार के आवंटन नीति—2015 के अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र प्रपत्र—स में पेश कर ग्राम सालावास में पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु 100 ग 100 वर्गफीट भूमि निःशुल्क आवंटन करने का अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार (दक्षिण) एवं पटवारी (दक्षिण) की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सालवास के खसरा नं. 463/1 रकबा 152 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं मौके पर चाहे गये प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध है।

निदेशक (आयोजना) की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सालावास के प्रस्तावित खसरा संख्या 152 का भू—उपयोग मास्टर प्लान—2023 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी मे आरक्षित है। प्रस्तावित भूमि का भू—उपयोग पशु चिकित्सालय प्रयोजनार्थ चाहा गया हैं। अतः परिधि नियंत्रण पट्टी में उक्त उपयोग अनुज्ञय नही है। अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, सालावास हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि ग्राम सालावास के खसरा संख्या 463/1 रकबा 152 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन गौचर, जिसका मास्टर प्लान — 2023 में भू—उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी में आरक्षित है, निःशुल्क आवंटन की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन करने तथा परिधि नियत्रण पट्टी में भूमि आवंटन की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का डिमार्केशन भी राजस्व नक्शे में कर प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 26 :: पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बोरानाडा में 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि खसरा संख्या 181/1 रकबा 5—13 बीघा किस्म गैर मुमकिन बारानी 1 में से भूमि आवंटन करने के संबंध में।

संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र मय राज्य सरकार के आवंटन नीति—2015 के अंतर्गत निर्धारित आवेदन पत्र प्रपत्र—स में पेश कर पशु चिकित्सालय के निर्माण हेतु 100 ग 100 वर्गफीट भूमि निःशुल्क आवंटन करने का अनुरोध किया गया है।

19.6.17

तहसीलदार (दक्षिण) एवं पटवारी (दक्षिण) की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम बोरानाडा के खसरा नं. 181/1 रकबा 5.13 बीघा किस्म बारानी–प्रथम जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है एवं मौके पर चाहे गये प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध है।

निदेशक (आयोजना) की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बोरानाडा मास्टर प्लान–2023 के अंतर्गत भू–उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। प्रस्तावित भूमि पशु चिकित्सालय प्रयोजनार्थ चाहा गया हैं। अतः औद्योगिक में उक्त उपयोग अनुज्ञय नही है। अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, बोरानाड़ा हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 181/1 रकबा 5–13 बीघा किस्म बारानी–1, जिसका मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है, सार्वजनिक हित को देखते हुए निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए प्राधिकरण की निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन मय भू–उपयोग परिवर्तन की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रस्तावित भूमि का डिमार्केशन भी राजस्व नक्शे में कर प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 27 :: सालावास सिवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट में से ट्रिटेड पानी की सिंचाई हेतु अस्थायी नाला निकालने की अनुमति।

ग्राम सालावास के खसरा न. 90,91,92,93,94,95 व 96 की भूमि जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि के पास सालावास ट्रीटमेन्ट प्लाट बना हुआ है। जिसके लिये प्राधिकरण की भूमि में से निजी खातेदारो द्वारा सिचाई हेतु अस्थाई नाला बनाने की मांग गई है। प्रकरण में अस्थाई नाला बनाने की अनुमति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि में से निजी खातेदारों को अस्थायी नाला बनाने की अस्थायी अनुमति दिया जाना उचित नहीं होने से प्रकरण में अस्थायी नाला बनाने की अनुमति नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में नियमानुसार भूमि आवंटन हेतु पृथक से आवेदन करने के लिए आवेदक स्वतंत्र है।

प्रस्ताव संख्या 28 :: प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा कमांक 3/2017– 18 दिनांक 13–4–2017 के टेन्ट फर्नीचर आपूर्ति के संबंध मे।।

प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा कमांक 03/2017–18 दिनांक 13.04.17 जो कि टेन्ट फर्नीचर की किराये पर आपूर्ति से संबंधित थी उक्त निविदा दिनांक 08.05.2017 को खोली गई, जिसमें दो निविदाएं प्राप्त हुई, प्राप्त निविदा मे न्युनतम निविदादाता से नेगोशियेशन पश्चात प्राप्त दरो का Letter of Intent मैसर्स संकलेचा टेन्ट हाउस को जरिये कमांक 1121 दिनांक 10.05.17 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को एस.बी. सिविल रिट पिटिशन कमांक 4863/2017 के निर्णयाधीन प्रेषित किया गया।

19.6.17

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.01.2016 कमांक 2893–2924 दिनांक 12.01.16 के प्रस्ताव सं. 24 (3) के अनुसार उक्त Letter of Intent में गठित कय समिति द्वारा दर स्वीकृत किये जाने के उपरांत/आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याक्षा में फर्म को दर संविदा आदेश दिया जा चुका है। तद्नुसार उसे स्वीकृत किया जाना है साथ ही साथ सामान्य वितीय एवं लेखा नियमो के अनुसार अनुबंध पर प्राधिकरण की तरफ से हस्ताक्षर हेतु अधिकारी को अधिकृत किया जाना है।

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा	यूनिट	स्वीकृत दर
1	Stage on strong iron foot :-			
2	A. 2.5 feet	1.00	Sq. Ft.	7.00
3	B. 3' feet	1.00	Sq. Ft.	7.00
4	C. 4' feet	1.00	Sq. Ft.	10.00
5	D. 5' feet	1.00	Sq. Ft.	10.00
6	E. 6' feet	1.00	Sq. Ft.	10.00
7	E. 7' feet	1.00	Sq. Ft.	10.00
8	Tripal/Tent fitting with bamboo	1.00	Sq. Ft.	1.74
9	White Top celling	1.00	Sq. Ft.	0.22
10	Matting Velevet with plastic tape	1.00	Sq. Ft.	0.47
11	P.V.C. Chair	1.00	Nos.	3.00
12	Dunlop Chair with cover	1.00	Nos.	6.50
13	Camper with 20 lt. Drinking water	1.00	Nos.	15.00
14	Matterss Dunlop size 3'x6'	1.00	Nos.	19.00
15	Table size 5'x2.5'	1.00	Nos.	5.30
16	Table size 5'x1.5'	1.00	Nos.	5.30
17	Table Cover	1.00	Nos.	3.35
18	Table Frill	1.00	R. Ft.	3.35
19	Velvet Gate	1.00	Nos.	3.00
20	Side celling	1.00	Sq. Ft.	0.25
21	Chunnat Celling	1.00	Sq. Ft.	0.39
22	Bangali piller	1.00	Nos.	10.00
23	Tripal on the stage	1.00	Sq. Ft.	0.85
24	Woolen carpet of new condition (Standard)	1.00	Sq. Ft.	1.79
25	Water bottle 1 lt.	1.00	Nos.	8.50
26	Water bottle 1/2 lt.	1.00	Nos.	5.00
27	Mineral water jar 20 lt.	1.00	Nos.	20.00
28	Lota Tamba	1.00	Nos.	0.01
29	Lota Plastic	1.00	Nos.	0.25
30	Waiter	1.00	Nos.	114.00
31	White bed sheet	1.00	Nos.	6.80
32	Foot Step/stairs	1.00	Each	8.50
33	A. Foot Step/stairs 2.5 Ft.	1.00	Each	8.50
34	B. Foot Step/stairs 1.5 Ft.	1.00	Each	9.00
35	C. Foot Step/Stairs 3 Ft.	1.00	Each	9.00

19.6.17

36	D. Foot Step/staris 4 Ft.	1.00	Each	12.00
37	Gamla with plants	1.00	Each	13.25
38	V.V.I.P. Wooden chair.	1.00	Each	200.00
39	Swiss Tent with water proof canvas and frill	1.00	Sq. Ft.	13.15
40	Sofa with center table	1.00	Set	500.00
41	Podium	1.00	Each	95.00
42	Tub steel	1.00	Each	1.00
43	Chunnat designing work	1.00	Sq. Ft.	15.50
44	Padded chari with white cover	1.00	Each	19.50
45	White towel for Dignitary status	1.00	Each	42.00
46	White napkin for Dignitary status	1.00	Each	12.00
47	VVIP Woven carpet	1.00	Sq. Ft.	2.20
48	Shamiyana	1.00	Sq. Ft.	1.45
49	Kanat	1.00	Sq. Ft.	0.30
50	Iron Chair	1.00	Nos.	0.80
51	Dari	1.00	Sq. Ft.	0.18
52	Chandani	1.00	Sq. Ft.	0.13
53	Welcome Gate Darbari	1.00	Nos.	46.00
54	Matting Red	1.00	Sq. Ft.	0.29
55	Matting Velvet	1.00	Sq. Ft.	0.47
56	Bangali Chunnat Frill	1.00	Sq. Ft.	0.27
57	Pole cover ordinary	1.00	Nos.	0.58
58	Paat size 3'x6'x1.5'	1.00	Nos.	12.00
59	Barricading with saal ballies as per design including tieng with vertical post by coconut string complete in all respect with two horizontal ballies height 1.2 Mtr. Up to 1.5 Mtr.	1.00	R. Ft.	4.70
60	Flag with pole (G.I.pipe 2"x20 feet with coloured flags)	1.00	Nos.	14.00
61	Glass with stand (6 glass with stand)	1.00	Nos.	0.90
62	Sofa set with cover	1.00	Nos.	58.00
63	Dom structure without pole pandal (water proof)	1.00	Sq. Ft.	16.50
64	Water proof Tent/Tripal	1.00	Sq. Ft.	6.00
65	Canopies with curtain	1.00	Sq. Ft.	25.00
66	Dom with chunnet desigining work	1.00	Sq. Ft.	28.28
67	Cushion with cover	1.00	Nos.	3.50
68	Bardana	1.00	Sq. Ft.	0.28
69	Ply Frame Gate	1.00	Nos.	3.65
70	Jug Steel	1.00	Nos.	0.08
71	Velvet Chandni	1.00	Sq. Ft.	0.60
72	Washbasin	1.00	Nos.	15.00

19.6.17

73	W.C. for temporary toilet	1.00	Nos.	95.00
74	Toilet made by Kanat	1.00	Nos.	95.00
75	Foot mate	1.00	Nos.	0.90
76	Center Table with sunmica top Height 1/ 1/2 Feet	1.00	Nos.	7.00
77	Storage Tank for drinking Water	1.00	Nos.	8.00
78	(A) G.I. sheet tank (drum) for storage drinking water 200 litre.	1.00	Nos.	5.00
79	(B) Plastic tank (drum) for storage drinking water 200 litre.	1.00	Nos.	8.00
80	(C) Steel tank (drum) for storage drinking water 20 litre.	1.00	Nos.	8.00
81	Service Tray	1.00	Nos.	0.45
82	Tea kettle	1.00	Nos.	0.40
83	Tea Container Steel	1.00	Nos.	0.10
84	Quarter Plate	1.00	Nos.	0.01
85	Full Plate	1.00	Nos.	0.01
86	Bucket of Steel	1.00	Nos.	0.90
87	Bucket of Plastic	1.00	Nos.	0.90
88	Tub of iron	1.00	Nos.	8.50
89	Flower with flower pot set	1.00	Nos.	8.50
90	Table With sunmica top height 2 1/2	1.00	Nos.	13.00
91	Side stool 1 1/2 height	1.00	Nos.	5.00
92	Niwar cots made of iron pipe in the size of 3'x6'	1.00	Nos.	6.00
93	New cotton mattress with white cover size 3'x6'	1.00	Nos.	6.00
94	Cottan quilt with white cover	1.00	Nos.	6.00
95	Pillow	1.00	Nos.	2.50
96	Cots of wooden	1.00	Nos.	125.00
97	Shethiya (Diwan set)	1.00	Nos.	15.00
98	Bamboo 18 feet	1.00	Nos.	6.00
99	Rope	1.00	R. Ft.	0.40
100	Water-Stainer	1.00	Nos.	0.50
101	Colorful bed sheet	1.00	Nos.	6.00
102	Chunnat pole cover	1.00	Nos.	10.00
103	Tub plastic	1.00	Nos.	8.00
104	Tub Aluminum	1.00	Nos.	8.00
105	Steel tray with glass	1.00	Nos.	0.90
106	Garden Chair	1.00	Nos.	5.00
107	Tripal/Plastic sheet	1.00	Sq. Ft.	0.70
108	Pipe pandal	1.00	Sq. Ft.	3.40
109	Cloth frill	1.00	Sq. Ft.	1.40
110	Panjabi Decoration	1.00	Sq. Ft.	0.10
111	Mattress Foam 3'x6'x4mm	1.00	Each	17.00

19.6.17

112	Round Table with cover	1.00	Each	17.00
113	Dunlop Sofa set with cover	1.00	Each	95.00
114	Ramp for stage with railing	1.00	Sq. Ft.	12.50
115	Frill of plastic flower	1.00	Sq. Ft.	1.90
116	Swiss tent with attached Bathrrom (Running water) including all accessories like Bed, Table, Sofa set etc. complete in all respect.	1.00	Sq. Ft.	17.00
117	VVIP, Bathroom accessories like :- Towel, Napkin, Soap, Mirror, Comb, Tissue paper etc.	1.00	Each	145.00
118	Barricading with G.I. pipe (50 mm height 1.2 mtr. To 1.5 mtr.)	1.00	Sq. Ft.	21.00
119	Bathroom 7'x7' with W.C. and washbasin (running water).	1.00	Set	1600.00
120	Velevet chair	1.00	Each	9.50
121	Pedastal fan plastic (sound less)	1.00	Each	142.00
122	Tumbler superior quality	1.00	Each	3.00
123	Decorative umbrella with curtain	1.00	Sq. Ft.	23.00
124	Steel cushion chairs with arm	1.00	Each	9.50
125	Fire Extinguisher 5kg. DCP or, 4.5kg. CO2 type quality and make, ISI approved	1.00	Each	125.00
126	Washbasin set with angle cock and drain pipe (Running water)	1.00	Each	290.00
127	Air/room fresheners	1.00	Each	57.00
128	Farm House Tent	1.00	Sq. Ft.	13.50
129	Fiber Gate	1.00	Sq. Ft.	5.70
130	Fountain	1.00	Each	480.00
131	Tea coaster	1.00	Each	0.01
132	Rack steel	1.00	Each	27.00
133	Mirror with stand	1.00	Each	55.00
134	Water tanker 4000 lt.	1.00	Each	260.00

नोट :– लगातार एक ही स्थान पर टेन्ट व्यवस्था होने पर छूट की दरे निम्नानुसार होगी

Break up to Period	Rate of Rebate	Remarks
Second day to Seventh Day	32 % (Thirty Two Percent)	छूट की दर समस्त बिल राशि पर परिकलित की जायेगी

निर्णय

बैठक में अवगत कराया गया कि उक्त एजेण्डा नोट में सबसे अन्त में नोट के रूप में निम्नानुसार विवरण अंकित था जो सहवन से पूर्ण रूप से अंकित नहीं हुआ है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

19-6-17

नोट :– लगातार एक ही स्थान पर टेन्ट व्यवस्था होने पर छूट की दरे निम्नानुसार होगी		
Break up to Period	Rate of Rebate	Remarks
Second day to Seventh Day	32 % (Thirty Two Percent)	छूट की दर समस्त बिल राशि पर परिकलित की जायेगी
Subsequent Days beyond Serventh Day	60% (Sixty Percent)	छूट की दर समस्त बिल राशि पर परिकलित की जायेगी

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2016 (बैठक कार्यवाही विवरण कमांक 2893–2924 दिनांक 12 जनवरी, 2017) के अनुसार मैसर्स संकलेचा टेन्ट हाऊस को पत्र कमांक 1121 दिनांक 10 मई, 2017 से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 4863/2017 के निर्णयाधीन टेन्ट फर्नीचर के कार्यो की आपूर्ति के लिए कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश दिया गया है जिसका अनुमोदन किया जाता है। वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार अनुबंध पर प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता–मुख्यालय, प्राधिकरण को अधिकृत किया जाता है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि एक स्थान पर लगातार टेन्ट व्यवस्था होने पर निम्नानुसार दरें देय होगी:–

Break up to Period	Rate of Rebate	Remarks
Second day to Seventh Day	32 % (Thirty Two Percent)	छूट की दर समस्त बिल राशि पर परिकलित की जायेगी
Subsequent Days beyond Serventh Day	60% (Sixty Percent)	छूट की दर समस्त बिल राशि पर परिकलित की जायेगी

प्रस्ताव संख्या 29 :: 17–23.12.2016 राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने एवं गणतंत्र दिवस पर 26–1–2017 को टेन्ट आदि लगाने का भुगतान करने बाबत (एटहोम कार्यकम)

- कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 में दिनांक 17.12.2016 से 23.12.2016 तक टेन्ट/डोम व अन्य व्यवस्था के लिए किये गए व्यय रू 61.90 लाख के भुगतान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो मैसर्स संकलेचा टेन्ट हाउस के पक्ष में जारी अनुबन्ध सं. एफ 38(10)/2015–16 को आवंटित कार्य के विरूद्ध बकाया है।
- प्रस्ताव के अनुसार किया गया व्यय मूल स्वीकृति से अधिक होने के कारण एवं बजट का पुनर्नियोजन कर भुगतान की स्वीकृति प्राधिकरण से ली जानी प्रस्तावित थी।
- कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव सं. 23 में प्रकरण निर्णय हेतु प्राधिकरण के समक्ष रखने संबंधी प्रस्ताव पारित किया।
- प्रकरण निर्णय हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.2017 में रखा जिस पर प्राधिकरण ने प्रस्ताव सं. 4 में निदे ाक वित्त के सुझाव पर प्रकरण पुनः परीक्षण कर कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया निर्दे ाानुसार प्रकरण का पुनः परीक्षण करके निम्नानुसार तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत है।
- मै. सकलेचा टेंट हाउस के साथ टेंट सम्बधी ठेका अनुबंध (सं. एफ 38(10)/2015–16)/1943 दिनांक 05.11.2015 की अवधि दिनांक 04.11.2016 का समाप्त हो गयी थी। इसके पश्चात आगामी कार्यवाही के रूप से नई निविदा को प्रभावी करने की कार्यवाही अपेक्षित थी।
- नई निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन रहने के दौरान ठेका अवधि तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा RTPPR 29 (i) के अन्तर्गत आगामी 3 माह तक बढाई गयी (पेरा नं. 87)
- बढ़ी हुई अवधि के अनुसार उक्त अनुबंध दिनांक 04.02.2017 तक alive हो गया था।

19.6.17

- ❖ इस दौरान राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 09.12.2016, 11.12.2016 एवं **12.12.2016 को जिला प्रशासन स्तर पर आयोजित बैठको में लिए गये निर्णयो की** अनुपालना में जारी बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 3 वर्ष/प्रदर्शनी/2016/7228 दिनांक 13.12.2016 द्वारा दिनांक 17.12.2016 से 23.12.2016 तक आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं विभिन्न कार्यक्रमो के लिए डोम, इत्यादि की व्यवस्था के लिए प्राधिकरण को पाबन्द किया गया।
- ❖ जिला प्रशासन के निर्णय की अनुपालना के प्रस्तावित कार्य हेतु मै. सकलेचा टेंट हाउस को स्वीकृत दर सविदा के अन्तर्गत कार्यादेश क्रमांक 4514 दिनांक 12.12.2016 रू. 61.90 लाख का जारी किया गया।
- ❖ उक्त कार्यादेश के विरूद्ध कुल 60.52 लाख रू का बिल संवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- ❖ रिपीट ओर्डर मूल संविदा मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक होने एवं बकाया भुगतान के लिए बजट पुनर्नियोजन की आवश्यकता होने के कारण भुगतान की स्वीकृति के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया।
- ❖ मूल सविदा मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक का कार्य इस देयता के पूर्व ही निश्पादित करवाया जा चुका है।
- ❖ कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 के प्रस्ताव सं. 23 में समिति ने बजट पुनर्नियोजन का मामला होने के कारण प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित करवाये जाने का सुझाव दिया।
- ❖ इस दौरान प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.2017 में प्राधिकरण का वर्श 2017–18 का **बजट भी पारित हो गया है। इसमें टेन्ट संबंधी व्यवस्था के लिए रू 170 लाख का** बजट पारित किया है जिसमें प्र नगत व्यय के भुगतान के लिए प्रस्तावित प्रावधान भी सम्मिलित है।
- ❖ दर संविदा के मामले में RTPPA धारा 36 एवं RTPPR –29 लागु होती है। धारा 36 में यह प्रावधान है कि दर संविदा उन उपापनों पर लागु है जहाँ subject matter की आवश्यकता indefinite अथवा repeated basis पर होती है जो किसी अवधि विशेष के लिए नियता होती है। RTPPR 29 (i) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि नयी निविदा किसी कारणवश प्रभावी नही होने पर आगामी 3 माह तक चालू अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है। टेन्ट के विभिन्न आइटमों के मात्रात्मक पूर्वानुमान नियत नही होने के कारण निश्पादित कार्य की सीमाओं का निर्धारण/नियंत्रण व्यावहारिक रूप से आवधिक सीमाओं के भीतर ही अनुज्ञात हो सकते है।
- ❖ **वर्ष 2017–18 के बजट में बकाया देयता के चुकारे का आव यक प्रावधान कर दिया है जो प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.2017 में स्वीकृत कर दिया गया है।**
- ❖ अतः बकाया भुगतान की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.2017 के प्रस्ताव सं. 4 के निर्णय की पालना में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारणार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि यह व्यय बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण बजट पुनर्नियोजन से संबंधित था तथा ठेका अवधि की मूल अवधि समाप्ति के पश्चात् कार्य कराया गया था। इसमें यह पाया गया कि बजट पुनर्नियोजन का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15 मई, 2017 में प्रस्तुत किया गया था परन्तु इससे पूर्व ही वर्ष 2017–18 के बजट में इस व्यय हेतु प्रस्तावित प्रावधान प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017–18 के बजट में पारित कर दिया गया। ठेके की अवधि नियमानुसार 3 माह बढाने के पश्चात् कार्य करवाया गया था इसलिए बढी हुई अवधि के दौरान करवाया गया कार्य नियमित माना जाना उचित है। कुल व्यय मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से

19.6.17

50 प्रतिशत अधिक होने के कारण यह प्रस्ताव विचाराधीन था। इसके विश्लेषण से यह पाया गया कि यह कार्य दर संविदा आधारित था जिस पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होती है। यह राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 36 के अनुसार दर संविदा उन उपापनों पर लागू है जिसमें सबजेक्ट मैटर की आवश्यकता अनिश्चित थी पुनरावृति आधारित होती है जो किसी अवधि विशेष के लिए नियत होती है। इस संबंध मे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के नियम 29 (1) में यह प्रावधान है कि दर संविदा के मामलों में कार्य कराने की अवधि आगामी 3 माह तक बढ़ायी जा सकती है। जो कि दर संविदा के मामले में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के नियम 29 लागू होते हैं इसलिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 73 की मात्रात्मक सीमा के प्रावधान दर संविदा के मामले में लागू नहीं होंगे क्योंकि दर संविधा अनुबंध अनिश्चित आपूर्ति के लिए हुआ है तथा वास्तव में सारवान तत्व समय है न कि कार्य की मात्रा। जैसा कि इस प्रकरण में जो कार्य अतिरिक्त रूप में निष्पादित करवाया है वह प्राधिकरण की नियमित गतिविधि का हिस्सा नहीं होकर उपापन जिला प्रशासन द्वारा लिये गये आकस्मिक निर्णय की पालना में करवाया गया है। जिसका संपूर्ण ब्यौरा पत्रावली में उपलब्ध है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित विवरण के अनुसार बकाया भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: पट्टा विलेख (लीज डीड) नवीनीकरण के संबंध में।

नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना क्षेत्र एवं 90–ए के तहत जारी पट्टा विलेख (लीजडीड) जारी किये जाते है। कई बार आवेदक द्वारा निर्धारित समयवधि में पट्टा विलेख (लीजडीड) को पंजीयन नही करवाया जाते है। एवं पट्टा नवीनीकरण के आवेदन समय–समय पर प्राधिकरण/जोन में प्राप्त होते है। इस संबंध में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में पूर्व में निर्णय लिया गया जो पूर्ण स्थिति स्पष्ट नही बताया कि कितनी राशि जमा करवानी तथा एक बार से अधिक नवीनीकरण होने के संबंध में भी क्या निर्णय लिया जाना है।

अतः उपरोक्त एजेण्डा कार्यकारी समिति की बैठक में रख कर पट्टा विलेख (लीजडीड) का नवीनीकरण प्रथम बार करने पर शुल्क निर्धारण करने एवं एक बार से अधिक नवीनीकरण होने पर राशि एवं सक्षम प्राधिकारी अधिकारी के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति में विचारार्थ एवं निणयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजना क्षैत्र एवं 90–ए/90–बी के तहत जारी पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किये जाते हैं क्योंकि उपरोक्तानुसार जारी पट्टा विलेख 90–ए/90–बी एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण की योजना भूमि के आवंटन के प्रकरणों में वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनाक 14 जुलाई, 2014 के क्रम में नोट के रूप में निम्नानुसार अंकित है:–

1– प्राधिकरण की योजना क्षैत्र हेतुः– "Stamp duty on the lease deed or sale deed submitted for registration after 8 months from the date of execution and revalidated from the Local Bodies shall be calculated on the market value of the property or on 150% of the amount as calculated for serial number I above, whichever is higher."

2– 90–ए/90–बी प्रकरणों हेतुः–"Stamp duty on the lease deed submitted for registration after 8 months from the date of execution and revalidated from the

दिनेश
19.6.17

Local Authority shall be calculated on the market value of the property or on 150% of value calculated on the basis of prevalent rates of reserve price of the area prescribed by Local Authority concerned, whichever is higher. Where the rates of reserve price of the area is not prescribed, the reserve price of the nearby area shall be deemed to be reserve price of that area."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पंजीकरण हेतु लीज डीड/सैल डीड जारी होने से 8 माह तक प्रस्तुत की जा सकती है एवं इससे अधिक का समय हो जाता है तो पट्टा विलेख को संबंधित संस्था (प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण) से नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक है। नवीनीकरण के लिए शास्ति के रूप में राशि निम्नानुसार निर्धारित करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया:–

1– 8 माह के पश्चात् प्रथम बार नवीनीकरण हेतु आवेदन करने पर – 5000/– रूपये
2– प्रथम नवीनीकरण के पश्चात् भी पंजीकरण नहीं होने एवं द्वितीय बार नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करने पर – 10,000/– रूपये
3– द्वितीय बार नवीनीकरण हेतु अनुमति प्राप्त करने पर भी पंजीकरण नहीं करवाने पर तीसरी बार नवीनीकरण हेतु आवेदन करने पर – 15,000/– रूपये

प्रस्ताव संख्या 31 :: राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश कमांक प.2 (30) नविवि/3/2016 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के अनुसार स्थानीय निकाय अपने स्तर पर ले–आऊट प्लान बनायेंगे जिसके खर्च के संबंध में।

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट/1516–30, जयपुर दिनांक 25/04/2017 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में आवासीय/व्यवसायिक समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" बाबत् दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

उक्त आदेश में यह निर्देशित किया गया है कि जहां स्थानीय निकाय अपने स्तर पर ले–आउट प्लान बनायेंगे, तो उसका खर्चा सम्बन्धित योजना के उन सभी भूखण्डधारियों, जिनका नियमन होना है, से क्षेत्रफल के अनुसार समानुपातिक रूप से लिया जायेगा।

चूंकि आवेदकों से पट्टा जारी करने से पूर्व, सर्वे एवं ले–आऊट प्लान बनाने का खर्चा वसूल किया जाना सम्भव नहीं है, अतः सर्वे/ले–आऊट प्लान तैयार करवाने का खर्चा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा वहन किया जा सकता है एवं बाद में पट्टें जारी करते समय सर्वे/ले–आउट प्लान को तैयार करवाने में हुए व्यय को समस्त भूखण्डधारियों, जिनका नियमन होना है, से क्षेत्रफल के अनुसार समानुपातिक रूप से वसूल किया जा सकता है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। चर्चा अनुसार यह पाया गया कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के कम में जहां स्थानीय निकाय अपने स्तर से ले–आऊट प्लान बनायेंगे तो उसका खर्चा संबंधित योजना में उन सभी भूखण्डधारी, जिनका नियमन होना है, से क्षैत्रफल के अनुसार समानुपातिक रूप से वसूल किया जावेगा। चूंकि भूखण्डधारी के द्वारा भुंगतान पट्टा जारी होने के समय ही किया जा सकेगा अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार का सर्वे आवश्यकतानुसार

15.6.17

करवा लिया जावे एवं सर्वे का भुगतान प्रथमतः जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा सर्वेयर को किया जावे एवं उसका पुनर्भरण संबंधित भूखण्डधारियों से जिनका नियमन होना है, नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनाक 25 अप्रैल, 2017 के अनुसार किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 32 :: **डी.बी. सिविल रिट याचिका (पी.आई.एल) संख्या 13584/2015 सुशील कुमार ओझा बनाम राज्य व अन्य में माननीय खण्डपीड द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2017 की पालना में बसो के पार्किंग निम्नाकिंत स्थलो का चिन्हकरण एवं भूमि आवंटन बाबत्।**

क्र. सं.	जोन का नाम	खसरा न.	योजना	भूमि किस्म	मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग	क्षैत्रफल
1.	पश्चिम जोन	717	राजस्व ग्राम चौखा जैसलमेर रोड़	बारानी	आवासीय	4000 वर्गगज
2.	पश्चिम जोन	717	राजस्व ग्राम चौखा बाडमेंर रोड़	बारानी	आवासीय	4000 वर्गगज
3.	उत्तर जोन	55	राजस्व देसूरिया विश्नाई बिकानेर रोड़ नागौर रोड़	गैर मुमकिन गौचर	भण्डाराण एवं गोदाम	4000 वर्गगज
4.	दक्षिण जोन		विवेक विहार पाली रोड़			4000 वर्गगज

यातायात नियंत्रण की बोर्ड की बैठक दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसार उपरोक्त सूची अनुसार भूमि आवंटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय हेतु रखने का निर्णय लिया गया। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चिन्हिकृत भूमि के आवंटन के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को आवश्यकतानुसार स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे एवं निदेशक–अभियांत्रिकी डी.बी.सिविल रिट (जनहित) याचिका संख्या 13584/2015 में पारित आदेश की पालना में बस स्टेण्ड का प्रारूप (प्लान) तैयार करे एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 33 :: **मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत ग्राम पालडी खिचियान में 4 ए–1 के तहत प्राप्त निविदाओं के तकनीकी मूल्यांकन के विरूद्ध अपील बाबत।**

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम पालड़ी खिचियान खसरा संख्या 80 व 93 पर पैकेज संख्या I से VII की EOI (Expression of Interest) दिनांक 26.12.2016 को s जारी की गयी। उपरोक्त पैकेज में ऑनलाईन बिड डाउनलोड कर निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 06.02.2017 को सांयः 6:00 बजे निर्धारित की गयी थी।

पालड़ी खिचियान में प्रस्तावित योजना में प्रस्तावित आवासों की संख्या, भूमि तथा लागत निम्न लिखित हैं।

19.6.17

S. No.	Proposed Project	Area of land in ACRE "A"	Application of units			Project lost Calculation (In Crore)
			total unit as per 0.75*A*140 acres	EWS 60%	LIG 40%	
1	**villagr Paldi Khichiyan**					
	Parcel					
	Package I	35 bigha	1470	882		34.398
		14 acre			588	35.28
					Total	**69.678**
					Say	**70**
	Package II	30.68 bigha	1250	750		29.25
		12.27 acre			500	30
					Total	**59.25**
					Say	**60**
	Package III	25.0 bigha	1050	630		24.57
		10 acre			420	25.2
					Total	**49.77**
					Say	**50**
	Package IV	35.0 bigha	1470	882		34.398
		14 acre			588	35.28
					Total	**69.678**
					Say	**70**
	Package V	35.0 bigha	1470	882		34.398
		14 acre			588	35.28
					Total	**69.678**
					Say	**70**
	Package VI	35.0 bigha	1470	882		34.398
		14 acre			588	35.28
					Total	**69.678**
					Say	**70**
	Package VII	40.50 bigha	1700	1020		34.398
		16.2 acre			680	36
					Total	**70.398**
					Say	**71**
Total			**9880**	**5928**	**3952**	**458.13**

उपरोक्त निविदाओं में निर्धारित अवधि तक निम्न दो विकासकर्त्ताओं ने निविदाएं प्रस्तुत की थी।

1. इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
2. वडेरा ट्रेडलिंक प्रा. लिमिटेड, बाड़मेर।

प्राप्त निविदाओं का तकनीकी आंकलन दिनांक 19.04.2017 को तकनीकी बिड खोलने व आंकलन समिति द्वारा किया गया जिसे साईट पर अपलोड किया गया था। तकनीकी आंकलन में मैसर्स वडेरा ट्रेडलिंक प्रा. लिमिटेड, बाड़मेर को निर्धारित Eligibility Criteria के आधार पर Non-Responsive पाया गया एवं प्राप्त निविदाओं मे से मैसर्स इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली की वित्तीय बिड खोली गयी।

तकनीकी आंकलन जिसमें मैसर्स वडेरा ट्रेडलिंक प्रा. लि., बाड़मेर को Non-responsive घोषित किया गया, जिसके संदर्भ में मैसर्स वडेरा ट्रेडलिंक प्रा. लि., बाड़मेर ने 30.04.2017 को प्रथम अपील अधिकारी (बिड में निर्धारित) को प्रथम अपील प्रस्तुत की थी। प्रथम अपील के संबंध में तकनीकी आंकलन के आधार का विस्तृत प्रतिवेदन कार्यकारी समिति की बैठक में

15.6.17

प्रस्तुत किये जाने हैं। अतः विषयगत एजेण्डा अनुसार प्रकरण कार्यकारी समिति में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में तकनीकी मूल्यांकन बाबत अवगत कराया गया। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में समिति को अपीलीय अधिकारी का दायित्व निभाना है। लिहाजा अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए एवं तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य जिन्होंने पूर्ववतः मूल्यांकन किया था, को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। लिहाजा प्रकरण को स्थगित रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की आगामी बैठक शीघ्र ही आहूत की जावे जिसमें अपीलकर्ता एवं तकनीकी आंकलन समिति के सदस्यों को अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए मय दस्तावेज उपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 34 :: मुख्यमंत्री जन आवास योजना तनावडा फेज प्रथम की आयोजित लॉटरी दिनांक 8.6.2017 का अनुमोदन।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम तनावडा प्रथम चरण खसरा संख्या 136 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के क्रमशः 400 व 160 आवासों के आवंटन हेतु दिनांक 01.09.2016 से 26.10.2016 तक पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राधिकरण ने बैंक ऑफ बडौदा को प्राधिकृत किया था। निर्धारित अवधि में कुल 1618 आवेदन प्राप्त हुए थे।

प्राप्त आवेदनों की जांच कार्यालय आदेश कमांक एफ–46/आवंटन(दक्षिण)/2016/220–248 दिनांक 02.01.2017 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता व कनिष्ठ लिपिक से करवायी गयी। प्रथम परीक्षण उपरान्त प्राप्त आवेदनों का कार्यालय आदेश जेडीए/ CMJAY/ 2016–17/279 दिनांक 13.02.2017 द्वारा पुननिरीक्षण का कार्य दो टीमों बनाकर करवाया गया। टीम द्वारा आवेदनों के पात्र व अपात्र आवेदनों की सूची प्रस्तुत की गयी। प्रथम जांच व पुनरीक्षण टीम द्वारा आवेदनों में जो कमिया बतायी गयी एवं उल्लेखित की गयी उन आवेदको की कमी पूर्ति हेतू आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22.05.2017 को SMS करवाये गये। दिनांक 06.06.2017 तक प्राप्त दस्तावेजों को जॉच कर पुनः सूचीकरण किया गया। प्रथम जांच, पुनरीक्षण व SMS के बाद प्राप्त दस्तावेजो को सम्मिलित करते हूए पात्र व अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की गयी। जिन आवेदकों द्वारा आय, जाति प्रमाण पत्र संलग्न नही किये और जिन आवेदकों द्वारा 3.0 लाख से अधिक आय का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया उनको अपात्र सूची में सम्मिलित किया गया है जिनकी संख्या कुल 147 थी।

08.06.2017 को आयोजित लॉटरी में प्राप्त, निरस्त व स्वीकृत आवेदनों का विवरण निम्नानुसार हैं।

1. कुल आवेदन 1618
2. निरस्त आवेदन 147
3. स्वीकृत आवेदन 1471

08.06.2017 को आयोजित लॉटरी में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यालय आदेश कमांक JDA/CMJAY/581 दिनांक 07.06.2017 को निम्न समिति का गठन किया गया था।

1. सचिव– संयोजक
2. निदेशक–वित्त– सदस्य

19.6.17

3. प्रतिनिधि जिला कलक्टर– सदस्य

4. उपायुक्त दक्षिण– सदस्य

5. उपायुक्त–मुख्यालय– सदस्य सचिव
(प्रभारी सीएमजेएवाई)

राज्य कर्मचारी EWS ग्रुप में केवल 1 आवेदन प्राप्त हुआ था जबकि उपलब्ध फ्लेट 72 थे। अतः शेष 71 फ्लेट सामान्य श्रेणी में शामिल किये गए। सैनिक EWS ग्रुप में केवल 3 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि उपलब्ध फ्लेट 40 थे। अतः शेष 37 फ्लेट सामान्य श्रेणी में शामिल किये गए। अनुसुचित जन जाति EWS ग्रुप में केवल 13 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि उपलब्ध फ्लेट 24 थे। अतः शेष 11 फ्लेट सामान्य श्रेणी में शामिल किये गए। अधिस्वीकृत पत्रकारो EWS ग्रुप में केवल 0 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि उपलब्ध फ्लेट 8 थे। अतः 8 फ्लेट सामान्य श्रेणी में शामिल किये गए। राज्य कर्मचारी LIG ग्रुप में केवल 9 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि उपलब्ध फ्लेट 29 थे। अतः शेष 20 फ्लेट सामान्य श्रेणी में शामिल किये गए। सैनिक LIG ग्रुप में केवल 4 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि उपलब्ध फ्लेट 16 थे। अतः शेष 12 फ्लेट सामान्य श्रेणी में शामिल किये गए। अनुसुचित जन जाति LIG ग्रुप में केवल 3 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि उपलब्ध फ्लेट 10 थे। अतः शेष 7 फ्लेट सामान्य श्रेणी में शामिल किये गए। अधिस्वीकृत पत्रकारो LIG ग्रुप में केवल 0 आवेदन प्राप्त हुए थे जबकि उपलब्ध फ्लेट 3 थे। अतः 3 फ्लेट सामान्य श्रेणी में शामिल किये गए।

लॉटरी करने के लिए पात्र आवेदक व आवटंन योग्य फ्लेट की स्थिति निम्नानुसार थी–

फ्लेट	फ्लेट संख्या	निःशक्त जन के लिये	राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये	सैनिक / सेवानिवृत सैनिक एवं सेवा काल के दौरान वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवायें एवं आश्रितों के लिये	अनुसुचित जाति के लिये	अनुसुचित जन जाति के लियें	अधिस्वीकृत पत्रकारों के लियें	सामान्य
EWS	400	8	1	3	36	13	0	339
LIG	160	3	9	4	14	3	0	127
Total	560	11	10	7	50	16	0	466

10% अतिरिक्त आरक्षण लॉटरी में रखे जाने के योग्य आवेदनो की संख्या

फ्लेट	फ्लेट संख्या	निःशक्त जन	राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों	सैनिक / सेवानिवृत सैनिक एवं सेवा काल के दौरान वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवायें एवं आश्रितों	अनुसुचित जाति	अनुसुचित जन जाति	अधिस्वीकृत पत्रकारों	सामान्य
EWS	39	1	0	0	4	0	0	34
LIG	16	1	0	0	2	0	0	13
Total	55	2	0	0	6	0	0	47

लॉटरी में आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत अनुसार आवंटन आरक्षित करते हुए दिनांक 08.06.2014 को प्रातः 11:00 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण परिसर में कम्प्युटर में Randomization पद्धति से लॉटरी निकाली गई। सफल आवेदकों की श्रेणीवार सूची बोर्ड पर चस्पा की गयी एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेब साईट पर भी अपलोड की गई। लॉटरी

19.6.17

में सफल आवेदकों की सूची एवं कम्प्युटरीकृत लॉटरी करने की प्रकिया, कार्यकारी समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना फेज–द्वितीय की आयोजित लॉटरी दिनांक 8 जून, 2017 का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या 46 / आवंटन मूल / E/C बैठक / 17 कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या ...43 / एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

(अरूण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक / एफ.46 / मुख्य आवंटन शाखा / 2017 / 4267 दिनांक :: 19/6/ 2017

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय / उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I / II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....
19. ....

19.6.17
(अरूण पुरोहित)
सचिव

परिशिष्ट–क

दिनांक 16 जून, 2017 को दोपहर 12.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री महीपाल कुमार, अतिरिक्त कलक्टर–शहर (द्वितीय), जोधपुर
2.	श्री निसार खां, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
3.	श्री कैलाश रामदेव, अधीक्षण अभियन्ता–शहर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
4.	श्री डी.के. मीना, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री मुकेश मित्तल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री नानूराम, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री अनिल शर्मा, तकनीकी सहायक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
8.	श्री एन.आर. मीना, अधिशाषी अभियन्ता सी–डी–III, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
9.	श्री विरेन्द्रसिंह चौधरी, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–मुख्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12.	श्री लालचन्द चण्डक, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13.	श्री देवेन्द्रसिंह भाटो, सहायक वन संरक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14.	श्री राजेश बोडा, सहायक अभियन्ता एवं नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री मदनलाल, सी.आई. कार्यालय पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोपुर
16.	श्री राकेश गहलोत, सहायक अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव